

From,
Chhangur Ram
Additional District and Sessions Judge/
(POCSO Act),
Pilibhit

To,
The Registrar General
High Court of Judicature at
Allahabad.

Through
The District Judge
Pilibhit.

Subject:- "Objection removal regarding Option Form filled up on 25.07.2024 to exercise of one time option to switch from National Pension System/New Pension Scheme to Old Pension Scheme in compliance of letter No. 9691/IV-F-82 (Pension)/Admin. (A) dated July 16, 2024 issued by Hon'ble Court in the light of G.O.No. 14/2024/Sa-3-243/X-2024/301 (1)/2024 dated 28.06.2024 read with G.O. No. 20/2024/Sa-3-276/X-2024/301 (1)/2024 dated 11.07.2024 of the Government of U.P."

Sir,

Regarding the captioned subject, it is most humbly submitted that the applicant had filled up the Option Form and sent to Hon'ble Court through District Judge Pilibhit, vide letter no. 1961/I dated 25.07.2024. The digitally scanned copy of application was also sent online through e-Services JO portal on 26.07.2024. An objection has been raised on the JO portal regarding wrong entry in column number 07 of the Option form. It was also directed that after correcting the said entry fresh application/Option Form be sent through registered post as well as online mode. Therefore, the duly filled Option Form is being sent afresh herewith after correcting the said wrong entry.

Therefore, it is humbly requested that the applicant is, herewith, submitting fresh Option Form opting to switch over from National Pension System/ New Pension Scheme to Old Pension Scheme and the same may kindly be accepted. The fresh Option Form is also being submitted in online mode on E-Services JO Portal separately.

With regards.

Yours Faithfully,

Date:-03.10.2024

Chhangur Ram
Chhangur Ram
Additional District and Sessions Judge/
(POCSO Act),
Pilibhit.

Enclosure:- Duly filled fresh Option Form.

Office of The District Judge
No. 2514/I dated-03/10/24
FORWARDED
mm
03.10.24
District Judge
Pilibhit

शासनादेश संख्या- 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 का संलग्नक:-

विकल्प पत्र

1. नाम: छांगुर राम
2. वर्तमान पदनाम: अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/बलात्कार एवं पाक्सो अधिनियम, जनपद पीलीभीत।
3. वेतनमान: 1,44,840-1,94,660/-
4. वर्तमान विभाग का नाम : न्याय विभाग
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम : उ.प्र. शासन, नियुक्ति अनुभाग-4 (माध्यम-लोक सेवा आयोग, उ.प्र.)
6. विज्ञप्ति की तिथि : 15.11.2003 (विज्ञापन संख्या-A-2/ई-1/2003)
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि : 17.07.2006 उ. प्र. शासन, नियुक्ति अनुभाग-4, संख्या-3015/दो-4-06-32(1)/2001 टी.सी.-1
8. योगदान की तिथि: 31.07.2006
9. जन्म तिथि: 16.03.1972
10. सेवानिवृत्ति की तिथि : 31.03.2032

मैं छांगुर राम पुत्र स्व० श्री रमाशंकर शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत **पुरानी पेंशन योजना (✓)** / नवीन-पेंशन योजना (✗) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर - Chhangur Ram
नाम- छांगुर राम
पदनाम -अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/बलात्कार एवं पाक्सो अधिनियम, जनपद पीलीभीत।
जे.ओ. आई.डी.-यू.पी. 06507

घोषणा पत्र

मैं, छांगुर राम, पदनाम- अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/बलात्कार एवं पाक्सो अधिनियम, जनपद पीलीभीत, यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर Chhangur Ram
नाम- छांगुर राम
पदनाम -अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/बलात्कार एवं पाक्सो अधिनियम, जनपद पीलीभीत।
जे.ओ. आई.डी.-यू.पी. 06507

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री छांगुर राम, पदनाम- अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/बलात्कार एवं पाक्सो अधिनियम, जनपद पीलीभीत, को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **पुरानी पेंशन योजना (✓)** / नई पेंशन योजना (✗) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष की संस्तुति
पीलीभीत।
जला न्यायाधीश
पंजीभावा।